संख्या-157/2018/3151/22-2-2017-17(280)/2016

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ: दिनांक 12 फरवरी, 2018***

विषय: आदर्श कारागार, लखनऊ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी कमरूद्दीन पुत्र श्री मन्नू निवासी जनपद-फर्रूखाबाद की 14 वर्षीय नामिनल रोल के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-43077/पर-2/सलाहकार समिति/(एम0 04.12.2017) दिनांक-04.12.2017 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार आदर्श कारागार, लखनऊ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी कमरूद्दीन पुत्र श्री मन्नू, जो ग्राम- शेखपुर, थाना- कमालगंज, जनपद- फर्रूखाबाद, हालपता- मो0 भगतनगर सिहं वार्ड नं0-25 इन्द्रानगर, थाना-गुरसहायगंज, जिला- कन्नौज का रहने वाला है। हड्डी तथा जानवरों को खरीदनें-बेचने तथा आम के बाग लेने को लेकर चल रही रंजिश के कारण बन्दी ने 05 अन्य सहअभियुक्तों के साथ मिलकर दिनांक 25.06.1979 को रात्रि लगभग 01:00 बजे लाठी, चाकू, कांता से मारकर 01 व्यक्ति की हत्या तथा 02 को घायल किया। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-366/1999 में भा0द0वि0 की धारा-302/149, 147, 323/149, 148, 324/149 के अन्तर्गत मा0 अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट नं0-7, फर्रूखाबाद के आदेश दिनांक 12.06.1980 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया है जिसे मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 23.12.1997 द्वारा आजीवन कारावास की सजा को बहाल रखा गया। बन्दी द्वारा दिनांक 06.11.2017 तक 19 वर्ष 04 माह 21 दिन की अपरिहार सजा तथा 25 वर्ष 05 माह 01 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी का जेल आचरण संतोषजनक है। पुलिस अधीक्षक एवं

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बन्दी की समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति नहीं की गयी है। सम्बन्धित न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। सलाहकार समिति की आख्या में यह उल्लेख किया गया है कि हड्डी तथा जानवरों को खरीदनें-बेचने तथा आम के बाग लेने को लेकर चल रही रंजिश के कारण बन्दी ने 05 अन्य सहअभियुक्तों के साथ मिलकर दिनांक 25.06.1979 को रात्रि लगभग 01:00 बजे लाठी, चाकू, कांता से मारकर 01 व्यक्ति की हत्या तथा 02 को घायल करने का जघन्य अपराध कारित किया गया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाणी के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। अत: बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा किये गये विरोध एवं मा0 न्यायालय के पीठासीन अधिकारी की राय के दृष्टिगत जेल मैनुअल के प्रस्तर-198 एवं धारा-432 द0प्र0सं0 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी कमरूद्दीन पुत्र श्री मन्नू को रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- इसी प्रकरण में मा0 उच्च न्यायालय में योजित क्रिमिनल रिट याचिका सं0-6093 (एम0बी0) /2016 कमरूद्दीन बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य से आच्छादित है। अत: उक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि बन्दी कमरूद्दीन (बन्दी संख्या-14571) पुत्र श्री मन्नू निवासी जनपद-फर्रूखाबाद की जेल मैनुअल के प्रस्तर-198 एवं धारा 432 द0प्र0स0 के अन्तर्गत 14 वर्षीय नामिनल रोल के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त शासन द्वारा **अस्वीकार** कर दी गयी है।

कृपया उपरोक्त निर्णय से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)

संयुक्त सचिव।

संख्या-157/2018/3151/(1)/22-2-2017 तद्‌दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, फर्रूखाबाद।

2- वरिष्ठ अधीक्षक, आदर्श कारागार, लखनऊ।

3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

4- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(कलाम मुहीउद्दीन)

उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in